न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : **नारायण सिंह चारण,** (R.A.S)
अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 01/2009 (रेफरेन्स) **दायर दिनांक 01.04.2009**

सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर,
तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

श्री जीतु पिता सोलाल जाट, निवासी कन्नौज, के बजाय–
1/1 श्री गेहरीलाल पिता जीतु जाट, निवासी कन्नौज,
1/2 श्री मदनलाल पिता लोभचन्द जाट, निवासी कन्नौज,
1/3 श्रीमती सुन्दर बाई पत्नी लोभचन्द जाट, निवासी कन्नौज,
तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थना पत्र – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत्।

उपस्थितः–वकील प्रार्थी :– पैरोकार सरकार
वकील विपक्षीः– श्री श्यामसुन्दर सोमानी

निर्णय **दिनांक 28.02.2017**

उपरोक्त उनवान प्रकरण का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 17.11.2008 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कन्नौज, तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 1416/1878 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा किस्म नाडी सम्वत् 2011 से 2014 में बिलानाम सरकार थी। न्यायालय तहसीलदार भदेसर द्वारा दिनांक 17.03.1966 को श्री जीतु पिता सोलाल जाट, निवासी कन्नौज को ग्राम कन्नौज की आराजी नम्बर 1416/1878 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा गैर खातेदारी हक से आवंटन हुआ तथा आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 192 दिनांक 17.03.1966 को प्रमाणित किया गया। तहसील कार्यालय भदेसर के आदेश दिनांक 17.03.1966 से विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत किस्म नाडी होने से निरस्त योग्य है। अतः विपक्षी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया, जो नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है।

अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त कराने का श्रम करावें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गये।

प्रस्तुत प्रकरण पर दिनांक 11.07.2008 को निर्णय पारित किया गया कि – तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र वापस भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न बिन्दुओं की जांच करने के पश्चात् यदि यह प्रकरण रेफरेन्स योग्य हो तो सम्पूर्ण तथ्यों का समावेश करके नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेः–

(1) वादग्रस्त आवंटन जो कि किस्म नाड़ी में किया गया है उसका सही आराजी नम्बर और उसका रकबा क्या है।

(2) मौके की स्थिति एवं मौके पर उक्त आवंटित भूमि का स्वरूप क्या है।

(3) वादग्रस्त भूमि जो विपक्षी को आवंटित की गई है वह बहाव क्षैत्र में आती है या नहीं ।

(4) क्या वादग्रस्त भूमि आवंटन के कारण पानी के बहाव में अवरोध पैदा होता है।

(5) क्या वादग्रस्त भूमि में पानी बहकर नाड़ी में जाता है।

उक्त निर्देशों के संबंध में तहसीलदार भदेसर द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अ./2009/1052 दिनांक 21.07.2009 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्रकरण पर बहस सुनी गई, जिसमें पैरोकार सरकार का कथन है कि प्रश्नगत आराजी भूमि राजस्व रेकार्ड में किस्म नाला दर्ज है तथा मौके पर आंवटी का कब्जा नही है एवं भूमि पेटे के रूप में पानी भरा रहता है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आंवटन को निरस्त किया जावें।

प्रकरण पर विपक्षी अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में यह प्रकरण निर्णित होकर तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया था। लिखित बहस भी पेश की गई है। रिमाण्ड के निर्देशों की पालना नही हुई है। खसरा नम्बर 1416/1878 जमाबंदी संख्या 2059–62 में बाडा अंकित है। तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स में आंवटन आदेश विरूद्ध करने का उल्लेख किया गया है किन्तु आंवटन आदेश पेश नही किया है। सेटलमेंट में आराजी नम्बर 1416 नाडी दर्ज है। नक्शा ट्रेस में पहले नाला 1416 दर्शाया है फिर दूसरे नक्शे में 1416/1876 दर्शाया गया है। यह भूमि कृषि योग्य है। पानी नही भरता है। हमारी जमीन से लगती हुई है। रिमाण्ड के निर्देशों की पालना नही हुई है। अतः यह रेफरेन्स स्वीकार योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण पर बहस सुनी गयी, बहस के कथन एवं पत्रवाली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रश्नगत आराजी भूमि के मूल आराजी नम्बर 1416 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा किस्म नाडी जमाबंदी सम्वत् 2011–14 में अंकित है। ग्राम कन्नौज का नामान्तरकरण संख्या 192 दिनांक 17.03.1966 में आराजी नम्बर 1416 रकबा 2.15 बिघा भूमि बिलानाम सरकार किस्म नाडा दर्ज होकर विपक्षी को आवंटन किया गया तथा काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत् खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है। जमाबंदी सम्वत 2059–60 में विपक्षी के नाम उक्त भूमि खातेदारी हक से दर्ज होकर किस्म बाडा दर्ज है। साबिक रेकार्ड में प्रश्नगत आराजी भूमि किस्म नाला दर्ज है एवं वक्त नामान्तरकरण में भी किस्म नाला दर्ज है। डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 2–8–2004 के बिन्दु संख्या 1 व 4 की पालना में 15–8–1947 को राजस्व अभिलेख में दर्शाये गये नदी, नाले, उपनदी की स्थिति वर्तमान में पुनः बहाल की जानी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् उक्त किस्म की भूमि को आवंटन किये जाने से प्रतिबंधित श्रेणी में रखी गयी है। तहसीलदार भदेसर रिपोर्ट दिनांक 21.07.2009 के अनुसार उक्त प्रश्नगत आराजी पर आंवटी का कब्जा नही होकर पानी भरा हुआ है एवं नाडा है, उक्त भूमि बहाव क्षेत्र में आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम कन्नौज की आराजी नम्बर 1416/1878

रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा भूमि को राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार किस्म नाडी दर्ज कराने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विधिवत आवेदन पत्र 15 दिवस में प्रस्तुत कर कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलक्टर
(प्रशासन), चित्तौडगढ